।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 1348 / 121 दिनांक, गोपेश्वर, सितम्बर 13 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषयः– जनपद चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.383 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में. (Online No:- FP/UK/Road/14620/2021)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/137/2021/एफ0सी0/463 दिनांक 30.06.02022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण, विभाग, थराली की पत्र सं0 1537/36 सी0 दिनांक 26.08.2022 से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव में चाही गयी दो बिन्दुओ की सूचना निम्नानुसार इस कार्यालय का प्रेषित की गयी हैः–

क्र. सं.	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	आख्या
1.	बिन्दु सं0 01 के जवाब में पाया गया कि ग्राम आलयू की वर्तमान मार्ग से पैदल मार्ग दूरी 500मी0 है। IRC norms के अनुसार 500मी0 पैदल दूरी तक गांव को संयोजित माना जाता है। अतः राज्य सरकार IRC norms की प्रति के साथ प्रस्ताव को प्रेषित करने का कष्ट करे।	शासनादेश सं0 8167/ III (2)/18–5 (सामान्य9 /2018 दिनांक 31.12.2018 के अनुसार 100मी0 (ऊध्वार्धर) की दूरी पर ग्राम संयोजित माना जाता है की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है। IRC norms की प्रति संलग्न है।
2.	बिन्दु सं0 02 के सापेक्ष में दिया गया स्पष्ट्रीकरण मान्य नहीं है मार्ग को घने वन क्षेत्र से प्रस्तावित किया गया है। जबकि इसको वृक्ष–विहीन अथवा बिरल क्षेत्र से भी प्रस्तावित किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार वैकल्पिक समरेखण का चयन कर नवीन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रस्तावित कार्य स्थल का निरीक्षण प्रयोक्ता एजेन्सी व वन विभाग के द्वारा किया गया, उक्त मोटर मार्ग का निर्माण जिस क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है वहां का सम्पूर्ण भू–भाग घने वन क्षेत्र से आच्छादित है। प्रस्तावित चयनित संरेखण का चुनाव कम से कम वृक्षों को क्षति पहुंचाते हुए की गयी है। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग निर्माण में चयनित संरेखण ही सबसे अधिक उपयुक्त है तथा भू–वैज्ञानिक द्वारा भी चयनित संरेखण पर ही सड़क निर्माण की संस्तुति प्रदान की गयी है, यदि मार्ग के निर्माण में किसी अन्य वैकल्पिक संरेखण पर विचार किया जाता है तो वह तकनीकी दृष्टि (जैसे मार्ग का ग्रेड व एच0पी0 बैण्ड की चौड़ाई इत्यादि) से उपयुक्त प्रतीत नही हो रहा है। अथवा मार्ग की लम्बाई अधिक हो जा रही है मार्ग की लम्बाई अधिक हो जाने के कारण अधिक मात्रा में वन सम्पदा को क्षति पहुंचेगी व भूस्खलन की संभावना भी बढेगी। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण होने से यह मार्ग एक लिंक रोड़ के रूप में कार्य करेगा। जिससे परखाल चोपता मोटर मार्ग व परखाल डुंग्री मोटर मार्ग आपस में जुड़ जायेगें उक्त मार्ग के निर्माण होने से मात्र ग्राम आलयू के साथ–साथ ग्राम डुंग्री, रेंगांव, सिलकोटी व सीरी के निवासियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 1348 /121 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

e-mail हेतु ५१६
07-09-22

कार्यालय अधिशासी अभियंता

निर्माण खंड,लोक निर्माण विभाग थराली

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 1537 /36 सी0 दिनांक 26 /08/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में आलयु से चलियापानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.383 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में। (Online No.- FP/UK/ROAD/145620/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार ,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक बी0/यू0सी0पी0/06/137/2021/एफ0 सी0/463 दिनांक 30/06/2022 व आपका पत्रांक 267/12-I दिनाँक 14/07/2022।

उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण:-

(1) शासनादेश सं0 8167/III(2)/18-15(सामान्य)/2018 दिनाँक 31 दिसम्बर 2018 के अनुसार 100 मीटर (ऊर्ध्वाधर)तक की दूरी पर ग्राम संयोजित माना जाता है की प्रति प्रेषित की जा रही है।

(2) उक्त मोटर मार्ग का निर्माण जिस क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाना है वहाँ का सम्पूर्ण भू-भाग घने वन क्षेत्र से आच्छादित है। प्रस्तुत चयनित सरेखण का चुनाव कम से कम वृक्षो को क्षति पहुचाते हुए की गयी है। कार्यस्थल का निरीक्षण प्रस्तावक विभाग व वन विभाग द्वारा अनेक बार किया जा चुका है। मार्ग निर्माण में चयनित सरेखण ही सबसे अधिक उपयुक्त है तथा भूवैज्ञानिक द्वारा भी चयनित सरेखण पर ही सड़क निर्माण की संस्तुति प्रदान की गयी है। यदि मार्ग के निर्माण में किसी अन्य वैकल्पिक सरेखण पर विचार किया जाता है तो वह तकनीकी दृष्टि (जैसे मार्ग का ग्रेड व H.P. बैंड की चौड़ाई इत्यादि) से उपयुक्त प्रतीत नहीं हो रहा है अथवा मार्ग की लंबाई अधिक हो जा रही है। मार्ग की लंबाई अधिक हो जाने के कारण अधिक मात्रा में वन सम्पदा को क्षति पहुंचेगी व भूस्खलन की संभावना भी बढ़ेगी।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण होने से यह मार्ग एक लिंक रोड के रूप में कार्य करेगा जिससे परखाल-चोपता मोटर मार्ग व परखाल-डुंग्री मोटर मार्ग आपस में जुड़ जाएँगे। उक्त मार्ग के निर्माण होने से मात्र ग्राम आलयु के साथ साथ ग्राम डुंग्री, रेगाँव,सिलकोटी व सीरी के निवासियों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी।

संलग्न:- (1) शासनादेश की प्रति।
(2) संबन्धित कार्यस्थल का फोटोग्राफ।

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड,लो0नि0वि0
थराली,चमोली।

पत्रांक /36सी0 दिनांकित।
प्रतिलिपि:-सहायक अभियंता चतुर्थ,लो0नि0वि0 थराली को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड,लो0नि0वि0
थराली,चमोली।

प्राथमिकता, Urgent
ADFO

संख्या : (V) 67 / III(2) / 10-15(सामान्य) / 2018

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग-2

देहरादून: दिनांक : 3 / दिसम्बर, 2018

विषय: लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु नीति का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मोटर मार्गों/सेतुओं के निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय-व्ययक में प्राविधानित बजट को विभिन्न योजनाओं/मदों में विभाजित किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

(i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% धनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(ii) सड़क सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 5% एवं पुलों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% धनराशि वार्षिक बजट में प्राविधानित की जाय।

(iii) वार्षिक बजट की शेष धनराशि लगभग 55% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का वाहन मार्ग/वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्राविधानित की जाय।

(iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मार्ग से 100 मीटर की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाय।

(v) जिन ग्रामों/आबादियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्व से ही सुलभ हो, उन ग्रामों/आबादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।

(vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये 05 किमी0 से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाय, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।

(vii) ऐसे मार्गों को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में नही है तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 भारी वाहन से कम है, को बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा न किया जाय।

(viii) समस्त आबादी वाले भागों के मुख्य मार्गों में निर्माण हेतु edge to edge ब्लैक टॉप/इन्टरलॉकिंग सी0सी0 टाईल्स अथवा Brick on Edge तथा पक्की नाली निर्माण का प्राविधान अवश्य रखा जाय।

क्रमशः......पृष्ठ 2 पर

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गोपेश्वर (चमोली) (Chamoli)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(ix) मुख्यमंत्री आन्तरिक सम्पर्क योजना के तहत 500 मी0 से अधिक लम्बाई एवं 4.25 मी0 से अधिक चौड़ाई के मोटर मार्गों तथा 20 मीटर से अधिक लम्बाई के सेतुओं के निर्माण हेतु मा0 विधायकों की प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को लिया जायेगा। 02 लेन से कम चौड़ाई वाले मार्गों को सी0सी0 के स्थान पर इन्टरलॉकिंग टाईल्स से किया जाय, जो M-40 से कम नहीं होगी।

(x) MORTH के परिपत्र संख्या : NH-15017/28/2018-P&M दिनांक 23.03.2010 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 PCUs प्रतिदिन से अधिक परन्तु 8000 PCUs से कम यातायात होने पर Intermediate lane(5.50 m) का प्राविधान, 10000 से अधिक PCUs यातायात होने पर 02 लेन अर्थात 07मी0 कैरिज वे का निर्माण एवं 10000 से अधिक PCUs तथा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक Traffic Growth पर 07 मी0 कैरिज वे Paved Shoulder के साथ मार्ग निर्माण का प्राविधान किया जाय।

(xi) नये मोटर मार्गों के लिए सामान्य अनुरक्षण कार्यों हेतु कार्य समाप्ति के defect liability period सहित 03 वर्ष तक के लिये अनुबन्ध में ही यह प्राविधान कर दिया जाए कि मोटर मार्गों का अनुरक्षण भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम वर्ष हेतु कुल लागत का 0.5 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.00 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष हेतु कुल लागत का 1.5 प्रतिशत की दरों पर किया जाय। इस अवधि में सामान्य अनुरक्षण मद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जायेगी।

(xii) पैदल/झूला सेतुओं के निर्माण में Carriage way की चौड़ाई 1.80 मी0 तक सीमित रखी जाय। ग्रामीण मार्गों में नदी पर 02 कि0मी0 से कम दूरी पर दूसरा सेतु निर्मित न किया जाय।

(xiii) सामान्यतः Single lane में निर्मित होने वाले Steel bridges के अन्तर्गत 57 मी0 स्पान तक Modular bridges का निर्माण किया जाय, जिन्हें कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर Two lane अथवा किसी भी सीमा तक Multi lane में विस्तारित किया जा सके।

(xiv) प्रदेश में रू0 10.00 करोड़ से अधिक लागत तथा 60 मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं को E.P.C. (Engineering Procurement Construction) Mode के माध्यम से करवाया जाय। विश्व बैंक परियोजनाओं के लिये यह प्राविधान उनकी सहमति पर ही लागू होंगे अन्यथा नहीं।

(xv) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्यों, जिनकी वनभूमि की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, स्थानीय स्तर पर विवाद होने या अन्य कारणों से श्रमिक/सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव न हो, की पुनरीक्षित स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

2. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-378/XXVII(2)/2018 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(signature)

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

क्रमशः.....पृष्ठ 3 पर

Photo Cops Attested

(signature)

(stamp) सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली (चमोली)

CDPWD Tharali (Chamoli)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

निर्माण खण्ड लो0नि0वि0

निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0